



कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०

14/71, सिविल लाइन्स, केसा हाउस, केस्को, कानपुर।

विद्युत कनेक्शन के प्राप्त करते समय अथवा बाद में जमा सिक्योरिटी धनराशि पर ब्याज के सम्बन्ध में सूचना

केस्को कानपुर के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को माननीय उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग लखनऊ के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं को उनके द्वारा विद्युत संयोजन को प्राप्त करते समय अथवा दौरान संयोजन जो भी सिक्योरिटी की धनराशि केस्को, कानपुर के कार्यालय में जमा की गयी हो तथा उस पर उपभोक्ता को ब्याज की प्राप्ति अथवा उसके बिल में उक्त ब्याज की धनराशि का समायोजन नहीं हुआ हो तो वह उपभोक्ता सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड केस्को, कानपुर के कार्यालय में अपनी जमा रसीदों की मूल प्रतिलिपि तथा अप्रैल, मई व जून माह के बिलों की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सिक्योरिटी पर ब्याज प्राप्त कर सकता है, तथा अपने संयोजन के बिल में उक्त धनराशि का समायोजन करा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक केस्को
कानपुर